

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/ 610

दिनांक : 13-11-18

आदेश

निम्नांकित कर्मचारियों के नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री अशोक कुमार गुप्ता, लैब टेक्नीशियन	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई0एस0आई0 योजना, जयपुर	26.01.1959	31.01.2019
2.	श्री रामानन्द शादव, लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर (अलवर)	01.07.1959	30.06.2019

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई0एस0आई0 योजना, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डावर (अलवर)।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/डीपीसी सैल/निजो पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पेशा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशक को अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर